छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग,
मंत्रालय,महानदी भवन,
केपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30/03/13

क्रमांक एफ 10-15 /2013/वा.कर (आब.)/पांच (21) — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के उपखण्ड (दो) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप–नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10–2/2009/वा.कर(आब.)/पांच (05), दिनांक 22 जनवरी 2009 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित अनुज्ञप्तियों के लिए, कॉलम (3) में विहित मापदण्डों के अनुसार, कॉलम (4) में यथा दर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निर्धारित करती है :—

सारणी

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	मापदण्ड		वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1	2	3		4
1.	एफ.एल.2 अनुज्ञप्ति (सार्वजनिक गृह या रेस्टारेंट बार अनुज्ञप्ति)	क	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रू. 3,00,000/—
		ख	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रू. 4,00,000/—
		ग	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो,	रू. 5,00,000/—
2	एफ.एल.3 अनुज्ञप्ति (होटल बार अनुज्ञप्ति)	क	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रू. 9,00,000/—
		ख	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रू. 12,00,000/—
		ग	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो,	रू. 15,00,000/—

2/ नगर की सीमा से 10 कि. मी. की परिधि में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट फीस वही होगी, जो उस नगर के लिए लागू हो

3/ यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2013 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अ. त्रिपाठी

(ए. पी. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 30/03/13

क्रमांक एफ 10-15/2013/वा.कर (आब.)/पांच (21) – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-15/2013/वा.कर(आब.)/पांच (21), दिनांक 30-03-13 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अ. त्रिपाठी

(ए. पी. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

GOVERMENT OF CHHATTISGARH
Commercial Tax (Excise) Department
Mantralaya Mahanadi bhavan,
Capital Complex, Naya Raipur

NOTIFICATION

Raipur, dated 30 March., 2013

No F10-15/2013/CT/EX/V (21) In Exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) (h) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisagarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) read with sub-rule (2) of Rule 8 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and suppression of the previous Notification No.F 10-2/2009/CT(Ex)/v (5) Raipur Dated, 22nd January 2009 issued in this behalf, the State Goverment hereby, prescribe the annual licence fee as shown in column (4) of the table given below for the licences mentioned in the column (2) according to the norms laid down in column (3) :-

TABLE

S.No.	Type of Licence	Norms		Annual Licence Fee
1	2	3		4
1	F.L. 2 Licence (Public houses or Restaurant Bar)	(a)	For a town/place of which the poulation does not exceeds one lac.	Rs. 3,00,000/-
		(b)	For a town/place of which the poulation does not exceeds one lac, but does not exceeds Three lacs.	Rs. 4,00,000/-
		(b)	For a town/place of which the poulation exceeds Three lacs.	Rs. 5,00,000/-
2	F.L. 3 Licence (Hotel Bar Licence)	(a)	For a town/place of which the poulation does not exceeds one lac.	Rs. 9,00,000/-
		(b)	For a town/place of which the poulation does not exceeds one lac, but does not exceeds Three lacs.	Rs. 12,00,000/-
		(b)	For a town/place of which the poulation exceeds Three lacs.	Rs. 15,00,000/-

2/ For the Hotel/Restaurant situated within a radius of 10 Km. of the boundary of a town the licence fee will be the same as applicable to such town.

3/ This Notification shall come into force with effect from 01 April 2013

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

A Tripathi

(A.P.Tripathi)
Joint Secretary